

9/10/19

817/DAM/19  
9.10.19राजस्थान सरकार  
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.4(22)कृषि/ग्रुप-2/2019

जयपुर, दिनांक:- = 4 OCT 2019

## आदेश

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के जन घोषणा पत्र के क्रियान्विति के संबंध में निम्नांकित योजनाओं में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदनानुसार निम्न प्रकार से सरलीकरण किया जाता है:-

## राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना-2009

क्र.स.	वर्तमान प्रावधान	नवीनतम प्रावधान
1.	एक बार प्रकरण को मण्डी स्तरीय सहायता समिति द्वारा निरस्त किये जाने के पश्चात् किसी भी स्तर पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा तथा गठित सहायता समिति का निर्णय अन्तिम होने का प्रावधान है।	मण्डी स्तरीय सहायता समिति द्वारा निर्णित ऐसे प्रकरणों के संबंध में राज्य स्तरीय सहायता समिति के स्तर पर पुनर्विचार का प्रावधान किया जाता है।

## महात्मा ज्योतिबा फुले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना-2015

क्र.स.	वर्तमान प्रावधान	नवीनतम प्रावधान
1.	वर्तमान में विवाह सहायता हेतु 01 माह तक आवेदन करने का प्रावधान है।	विवाह सहायता हेतु विवाह के 03 माह तक आवेदन करने का प्रावधान किया जाता है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से


sd-

(लाल चन्द गुर्जर)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, (मा. कृषि विपणन मंत्री) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग-1) जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि।
4. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति को सी.एम.आई.एस. पोर्टल पर अपडेट कराने का श्रम करावे।
5. महाप्रबंधक, (प्रशासन) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।
7. क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड-समस्त।
8. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त -----।
9. रक्षित पत्रावली।


  
शासन उप सचिव 4/10
राजस्थान-सरकार  
कृषि विपणन निदेशालय

क्रमांक:-प.1(158)/निकृषि/सार्गाकृसायो/ 35510-665 दिनांक:- 17/10/19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड-समस्त।
2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त।
3. उप निदेशक (सांख्यिकी), कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
4. कम्प्यूटर शाखा, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर को लेख है कि उपरोक्त नवीन शामिल विन्दुओं को वेबसाइट पर अपलोड करावें।


  
(करण सिंह)

संयुक्त निदेशक-II

कृषि विपणन